यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.11.2018 से 21.11.2018 व 26.11.2018 से 29.11.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन, नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.11.17 से 01.12.17 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः श्रीनगर, पौडी, रूद्रप्रयाग, चमोली**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	1378.75
2016-17	1440.33
2017-18	922.26

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	64.37	58.53	-	-	-	5.84
2016-17	-	-	114.60	104.69	-	-	-	9.91
2017-18	-	-	131.74	123.19	-	-	-	8.55

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:1- कर का अनारोपण ₹ 13.11 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, श्रीनगर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री एल एण्ड टी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लि0 टिन 05007271727 विद्धुत उत्पादन व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत बैलेंसशीट में संगत वर्ष 2015-16 में मात्र ₹9713991/- के कार्यालय सयन्त्र की बिक्री दर्शाई गयी थी, जिस पर व्यापारी द्वारा कोई कर अदा नहीं किया गया था। इसकी बिक्री ₹ 9713991/- पर 13.5% की दर से ₹ 1311388/- कर आरोपणीय था जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त कर का अनारोपण ₹ 13.11 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

.

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-02 अर्थदंड का अनारोपण ₹ 7.60 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 कीधारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमान हीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

माननीय उच्चन्यायालय नैनीताल द्वारा आनन्द विशिकोवा बनाम आयुक्त व्यापार कर दिनांक 18.06.2007 के निर्णय के अनुसार यदि ब्याज जमा हो जाता है तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) राज्यकर, श्रीनगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर **₹** 7602089/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से **₹**760208.90 का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित कराये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि फर्म सर्वश्री पंचकेदार फिलिंग स्टेशन द्वारा दो माहों में जमा कराये गये कर केवल एक दिन विलम्ब से है तथा तृतीय माह (नवम्बर) का मात्र 04 दिन विलम्ब से है। अतः उक्त के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपणीय किया जाना समाचीन नहीं है। शेष व्यापारियों के सम्बन्ध में बताया गया कि पत्रावली का अवलोकन कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है |

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारीकानाम/ संस्था का नाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(₹)	निर्धारिततिथि	जमाकरनेकी तिथि	विलम्बशुल्कअर्थ दण्ड (₹)
1.	उप वन संरक्षक केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर	2014-15	238530(अप्रैल) 49950(जुलाई) 79606(जुलाई) 47796(जुलाई) 12983(अगस्त) 53366(अगस्त) 5065(जुलाई) 53515(अगस्त)	20-05-14 20-08-14 20-08-14 20-08-14 20-09-14 20-09-14 20-08-14 20-09-14	08-07-14 21-10-14 13-10-14 13-10-14 14-10-14 28-11-14 28-11-14 28-11-14	23853.00 4995.00 7960.60 4779.60 1298.30 5336.60 506.50 5351.50
2	सर्व श्री प्रधान प्रबंधक दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड	2015-16	36283(मई) 22768(जुलाई) 27598(अगस्त) 58780(अक्टूबर) 45936(नवम्बर) 34190(दिसम्बर) 20376(जनवरी)	20-06-15 20-08-15 20-09-15 20-11-15 20-12-15 20-01-16 20-02-16	23-06-15 21-08-15 24-09-15 23-11-15 22-12-15 21-01-16 23-02-16	3628.30 2276.80 2759.80 5878.00 4593.60 3419.00 2037.60
3.	सर्व श्री जे.जे. एजेंसी श्रीनगर	2015-16	89416(चतुर्थ तिमाही)	20-04-16	05-05-16	8941.60
4.	सर्व श्री प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग	2015-16	14656(अक्टूबर) 44182(अक्टूबर)	20-11-15 20-11-15	24-11-15 24-11-15	1465.60 4418.20
5.	मै0पंचकेदार फिल्लिंग स्टेशन अगस्त्मुनी	2015-16	3029729(जून) 1373813(अगस्त) 1951913(अक्टूबर)	20-07-15 20-09-15 20-11-15	21-07-15 21-09-15 24-11-15	302972.90 137381.30 195191.30
6.	मै0 ओम प्रकाश अग्रवाल, श्रीनगर	2015-16	134454(चतुर्थ तिमाही)	20-04-16	05-05-16	13445.40
7.	मै0 आनंद इंडेन गैस एगेन्सी	2015-16	8716(अप्रैल) 1719(मई) 15988(जून) 30266(अगस्त) 17203(सितम्बर) 33131(जनवरी) 28045(फ़रवरी) 4109(मार्च) 9886(अक्टूबर) 28121(नवम्बर)	20-05-15 20-06-15 20-07-15 20-09-15 20-10-15 20-02-16 20-03-16 20-04-16 20-11-15 20-12-15	17-08-15 17-08-15 17-08-15 27-10-15 27-10-15 10-05-16 10-05-16 10-05-16 14-01-16 14 01-16	871.60 171.90 1598.80 3026.60 1720.30 3313.10 2804.50 410.90 988.60 2812.10
	योग-		7602089		कुल योग	760208.90 /-

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:1- कर का अनारोपण ₹ 0.54 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, श्रीनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री ओमप्रकाश टिन 05004885430 पापड, चायपत्ती, बिस्किट, कास्मेटिक गुड्स आदि की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा वर्षः 2014-15 में ₹ 51728430/- की खरीद एवं ₹ 53387445/- की बिक्री दिखाई गयी थी। बैलेन्स शीट में इस खरीद के सापेक्ष ₹ 1035262/- का क्रेडिट दर्शाते हुए स्कीम एवं इन्सेंटिव का लाभ दर्शाया गया है। जबकि व्यापारी द्वारा ₹ 1035262/- के स्कीम एवं इन्सेंटिव के क्रेडिट नोट्स प्रस्तुत नहीं किए गये। इसलिए इस क्रेडिट ₹ 1035262/- को लाभ का भाग मानते हुए न्यूनतम 5% की दर से कर ₹ 51763/- आरोपणीय था।

2- व्यापारी द्वारा खरीद सूची में ₹ 51773519/- की खरीद दर्शाई गयी थी। जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार ₹51728430/-की खरीद पायी गयी। अतः अंतर की राशि ₹ 45089/- (51773519-51728430) को बिक्री मानते हुए न्यूनतम 5% की दर से कर ₹2254/- आरोपणीय था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 54017/- (51763+2254) जमा किया जाना अपेक्षित था। इस धनराशि को जमा करने की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-10/2017-18	-	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री विजय कुमार	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र